

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

संलग्न प्रश्न प्रोपान-462004

क्रमांक-एफ-73-56 /2007/20-3

प्रोपान, दिनांक

प्रति,

तच्चिद
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रौर बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अज्ञातकीय तंत्र्या - अज्ञातकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल जिला, बडवानी

को सी. सी. स्त. ई /आई सी. स्त. ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

=====

राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय तंत्र्या अज्ञातकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल
जिला बडवानी को सी. सी. स्त. ई /आई सी. स्त. ई,
नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो तंत्र्यारें स्थापित हो चुकी है, उनका नाम प्रदेश
के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु तंत्र्या की
कार्यकारिणी में स. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी
को नामांकित किया जाये ।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का
मैदान छात्रावास भवन तुषिका आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगे ।
इस हेतु तंत्र्या से वचन पत्र लिखाया जाये ।
3. इस तंत्र्यार्जों के संचालन में अन्धमिता की शिकायत प्राप्त होने पर
विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को तंत्र्या का निरीक्षण/बाँच करने
का अधिकार होगा ।

निरन्तर. 2 पर

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का अवन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग या एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. असाक्षीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी निम्न प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क पथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में बालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री कुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार त्रिधात्रीय अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही इस्तेमाल किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों जो किसी भी स्टे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू रेल. पी. जी. आदि से संयोजित नहीं किया जायेगा ।

निरन्तर. 3 'र

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्य की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनावर्तित प्रभाव-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा सामुदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

| ए. स्त. पगारे |

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 7/7/07

बूट्टी-रक-73- 56 /2007/20-3

प्रतिलिपि:-

1. आशुक्त, लोक शिक्षण संघालयालय, म. प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अजमाली - - - - -
3. प्राचार्य, अनादिकीश्वर शिक्षण संस्था अजमाली हाथर सेकेण्डरी स्कूल
- - - - - जिला अजमाली - - - - -
4. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Principal

Anjad Public Hr.Sec.School
Anjad, Dist.Barwani

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग